भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 504**

जिसका उत्तर दिनांक 06.12.2023 को दिया जाना है

**अनुसंधान केन्द्र और विकास क्षेत्रक**

**504. सुश्री देबाश्री चौधरी :**
**श्रीमती पूनम महाजन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित देश भर में परमाणु ऊर्जा के अभिनव उपयोग संबंधी अनुसंधान और शिक्षा के लिए स्थापित किए गए नए अनुसंधान केन्द्रों और विकास क्षेत्रकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ संवितरित और आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित देश भर में वैश्विक प्रतिष्ठानों के साथ परमाणु ऊर्जा भागीदारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) परमाणु ऊर्जा के अभिनव उपयोग के बारे में अनुसंधान और अधिगम के लिए देश भर में दो नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं; i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश ii) विकिरण चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी), कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

(ख) निधि का विवरण

**(रु. करोड़ में)**

| केंद्र का नाम | आबंटित निधि | आज की तारीख तक संवितरित निधि |
|---|---|---|
| बीएआरसी विशाखापट्टनम | 358.43 | 160.32 |
| आरएमआरसी, कोलकाता | 125.09 | 102.02 |

(ग) व (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक संघटक इकाई वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केन्द्र (जीसीएनईपी) ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) [संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आईएईए, फ्रांस, यूके और उत्तरी आयरलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, बुल्गारिया, मलावी, अर्जेंटीना, उज्बेकिस्तान, एएफसीओएनई, घाना और कज़ाख्स्तान] सहित 14 अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

* * * * *